"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016— भाद्रपद 11, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–37/2016/वाक/पांच (70). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप–धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–10–36/2015/वाक/पांच (64), दिनांक 30 सितम्बर, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

अंक एवं शब्द "31 अगस्त 2016" के स्थान पर, अंक, शब्द एवं चिन्ह "30 नवंबर, 2016" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्रमांक एफ–10–37/2016/वाक/पांच (70). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–37/ 2016/वाक/पांच (70), दिनांक 29–8–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 29th August 2016

NOTIFICATION

No. F-10/37/2016/CT/V (70). – In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F-10-36/2015/CT/V(64), dated 30th September, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the figures and word "31st August 2016", the figures, word and punctuation "30th November, 2016" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–37/2016/वाक/पांच (71). — यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र. 74 सन् 1956) या छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) के अंतर्गत कर भुगतान करने हेतु दायी व्यवसायियों की ऐसी सभी कर निर्धारण कार्यवाहियां, जिन्हें छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप–धारा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष 2016 के अंत तक पूर्ण किया जाना है, और जिन्हें कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे सभी संभव प्रयासों के उपरांत भी विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं किया जा सकता है और कर निर्धारण अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों को गुणदोष के आधार पर पूर्ण करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिये विहित समय–सीमा बढ़ाई जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप–धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रत्येक व्यवसायी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक कर निर्धारण कार्यवाही, जो सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष लंबित हो, और जो 31 दिसम्बर 2016 तक पूर्ण नहीं की जाती है, को पूर्ण करने हेतु अवधि को 31 मार्च, 2017 तक बढ़ाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्रमांक एफ–10–37/2016/वाक/पांच (71). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–37/ 2016/वाक/पांच (71), दिनांक 29–8–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 29th August 2016

NOTIFICATION

No. F-10/37/2016/CT/V (71). – Whereas, the State Government is satisfied that all such assessment proceeding of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) or the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), which have to be completed by the end of the calendar year 2016 under the provisions of sub-section (7) of Section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) and which can not be completed within the prescribed period despite all possible efforts being made by the Assessing Authorities, and in order to enable the Assessing Authorities to complete such proceedings on merits, it is essential that the time limit prescribed for the completion of such proceedings is extended;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, extends up to 31st March, 2017 the period for completion of every such assessment proceeding under the said Acts in respect of every dealer, which is pending before the Assistant Commissioners of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers, and not completed by 31st December 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.